कार्यालयः– अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।

Superintendent Mob.No.- 9470003131 Email- superintendentvims.pawapuri@gmail.com
Website- www.vimspawapuri.org

NIT No.- 02/2024-25

व्यावसायिक वाहन को भाड़े पर लेने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी में इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहारशरीफ में ले जाने एवं वापस लाने हेतु व्यावसायिक निबंधन वाले भाड़े के दो वाहन, जिनमें बैठने की क्षमता 6–7 हो तथा अधीक्षक के उपयोग के लिए एक वाहन (कुल 03 वाहन) की आवश्यकता है। इसकी उपलब्धता कराने हेतु द्वि–लिफाफा पद्धति में इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले वाहन मालिक/एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज (Tender Document) अधीक्षक कार्यालय भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा से Rs. 500/- (रू0 पांच सौ) मात्र का किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा Superintendent BMIMS Hospital, Pawapuri के नाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो पावापुरी में भुगतेय हो, जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति इसे वेबसाइट www.vimspawapuri.org & www.hospital.vimspawapuri.org से भी Download कर सकते है। निविदादाता अपनी सीलबंद निविदा अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड–803115 के कार्यालय में भेजे। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांकः–13.09.2024 के संध्या 05:00 बजे तक है। निविदा दिनांक–14.09.2024 को 01.00 बजे अपराहन् में मुल्यांकन समिति के समक्ष खोली जाएगी। अगर इसमें कोई तिथि अवकाश घोषित होती है, तो वह अगले कार्य दिवस को होगी अर्थात अगर दिनांक–13.09.2024 को अवकाश होती है तो प्राप्ति की अंतिम तिथि 14.08.2024 अर्थात शनिवार होगी तथा निविदा खोलने की तिथि दिनांक–16.09.2024 (सोमवार) होगी। निविदा सिर्फ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी गई ही स्वीकार की जायेगी। अन्य किसी भी प्रकार यथा हाथों–हाथ/कूरियर द्वारा प्राप्त निविदा पर विचार योग्य नही होगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। अधीक्षक बिना किसी कारण बताए निविदा की शर्तों में छूट देने/स्थगित करने/किसी शर्त/शर्तों को विलुप्त करने/निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखतें है।

निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथिः–	**13.09.2024 के संध्या 05:00 बजे तक**
निविदा खोलने की अंतिम तिथिः–	**14.09.2024 अपराहन् 01:00 बजे**
स्थानः–	**अधीक्षक कार्यालय, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, ओ0पी0डी0 ब्लॉक 'ए', तृतीय तल्ला।**

12/8/24

अधीक्षक,
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालंदा।

व्यावसायिक वाहन को भाड़े पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा में इंटर्नशिप के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई, नालंदा एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्, बिहारशरीफ ले जाने एवं लाने तथा अधीक्षक के उपयोग के लिए एक वाहन हेतु व्यावसायिक निबंधित वाहनों को मासिक किराए पर लेने के लिए द्वि–लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदा आमंत्रित करते है।

निविदा के लिए आवश्यक निर्देश एवं अनुसूची

1. **उद्धेश्यः–**

A. व्यावसायिक वाहन को मासिक किराए पर इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्, रहुई, नालन्दा ले जाने एवं लाने हेतु एक 6–7 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ए0सी0 गाड़ी जिसे अधिकतम 60 कि0मी0 की दूरी तय करनी है। अधिकतम कार्य दिवस 26 दिन।

B. व्यावसायिक वाहन इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्, बिहारशरीफ, नालन्दा ले जाने एवं लाने हेतु एक ए0 सी0 गाड़ी जिसमें 6–7 यात्रियों के बैठने की क्षमता हो। इस गाड़ी को अधिकतम 40 कि0मी0 की दूरी तय करनी है। अधिकतम कार्य दिवस 26 दिन।

C. अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा हेतु एक ए0सी0 गाड़ी जिसमें अधिकतम मासिक दुरी 1500 कि0मी0 तय करनी है। कार्य दिवस पूरा माह।

नोटः– **यह आवश्यकता न्युनतम है। संस्थान में उपरोक्त वाहन के अलावे अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होने पर निर्धारित दर एवं शर्त पर अधिक गाड़ी की मांग की जा सकती है।**

2. **निविदा शुल्कः–**

रू0 500/- (रू0 पाँच सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट Superintendent BMIMS, Hospital, Pawapuri के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा पावापुरी में भुगतेय। यह Non-Refundable होगा। निविदा दस्तावेज अधीक्षक कार्यालय भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा से कार्य दिवस एवं कार्यावधि के दौरान वांछित ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता इसे वेबसाइट **www.vimspawapuri.org** & **www.hospital.vimspawapuri.org** से Download कर सकते हैं। बेवसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने पर बैंक डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति सीलबंद निविदा के साथ संलग्न करना होगा एवं कार्यालय से निविदा दस्तावेज प्राप्त करने के समय मुल बैंक डिमांड ड्राफ्ट कार्यालय में देना होगा तथा छाया प्रति सीलबंद निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

3. **अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit):-**

रू0 25000/–(रू0 पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से Superintendent BMIMS, Hospital, Pawapuri के पक्ष में निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतेय हो। यह Refundable होगा। यह राशि सफल निविदादाता के चयन एवं अनुबंध पश्चात् 30 दिनों के अन्दर सभी तकनीकि एवं वित्तीय निविदा में असफल निविदादाताओं को वापस कर दी जाएगी। इस पर ब्याज देय नही होगा। सफल निविददाता का अग्रधन (EMD) उनके Performance Security amount जमा करने के बाद वापस होगा। अगर नियत अवधि तक राशि जमा नही होगी तो EMD जब्त कर ली जाएगी तथा जो निविदादाता L2 होंगे उन्हे प्रक्रिया पूरी करने के बाद L1 दर पर कार्यादेश दे दिया जायेगा।

4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथिः–

दिनांक– 13.09.2024 संध्या 05:00 बजे तक निविदा अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड–803115 के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा भेजना होगा। अन्य प्रकार से भेजी गई निविदा स्वीकार नही की जाएगी ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। डाक विभाग की देरी कि लिए संस्थान जिम्मेवार नही होगा। अगर उक्त तिथि को अवकाश घोषित होती है तो प्राप्ति तिथि अगले कार्य दिवस को होगी।

5. निविदा खुलने की तिथिः–

दिनांक– 14.09.2024 अपराह्न 01:00 बजे अगर दोनो तिथियों में से कोई भी तिथि अथवा दोनो अवकाश घोषित होंगे तो दोनो के लिए क्रमशः अगली तिथियाँ अगले कार्य दिवस होंगे। सर्वप्रथम तकनीकि निविदा खोली जायेगी एवं उसका मुल्यांकन होगा। तकनीकि रूप से सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकि रूप से सफल होने वाले निविदादाताओं को उनके ई0मेल/मोबाईल/पत्राचार कर वित्तीय निविदा खोलने की तिथि सूचित की जायेगी। असफल निविदादाताओं को किसी प्रकार की सूचना नही दी जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जिनके पास वैध प्राधिकार पत्र हो, रह सकते है। उनकी अनुपस्थिति में भी निविदाएँ खोली जाएगी और निविदा दाताओं की अनुपस्थिति निविदा नही खोलने की बाध्यता नही होगी।

6. निविदा खोलने का स्थानः– **अधीक्षक कार्यालय,**
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।

7. अनुबंध अवधिः– **अनुबंध की तिथि से 02 (दो) वर्ष। कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध 01(एक) वर्ष और बढाया जा सकता है पर शर्तें एवं दर पूर्ववत होगी।**

8. निविदा की वैधताः– **निविदा खुलने की तिथि से 180 दिन।**

9. निविदादाता की पात्रता एवं शर्तेंः–

1. भारत का नागरिक हो,
2. पैन नम्बर धारक हो,
3. जी0एस0टी0 से निबंधन (यदि लागू हो)
4. निविदादाता वाहन मालिक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी होना चाहिए एवं इसके पक्ष में समुचित अभिलेख तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा। पार्टनरशिप फर्म होने पर अनुबंध पत्र एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा।
5. सरकारी संस्थान/पी0एस0यू0 में गाड़ी भाड़ें पर देने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरूप संबंधित संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत कार्यानुभव एवं सेवा संतुष्टि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पी0एस0यू0 द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नही होना चाहिए।
7. निविदादाता का Police Verification/चरित्र प्रमाण पत्र, वाहन चालक सहित संलग्न करना होगा।
8. किसी भी न्यायिक संस्थान द्वारा दंडित न हो। पुलिस अथवा न्यायालय में कोई वाद लंबित न हो।
9. निविदादाता का स्वयं/फर्म का बैंक खाता होना चाहिए।
10. निविदादाता के नाम से न्यूनतम एक गाड़ी का निबंधन होना चाहिए।

11. अगर निविदादाता दो गाड़ियां देने में सक्षम नही है अर्थात अगर उनके पास एक ही गाड़ी हैं तो वे दूसरे वाहन मालिक/फर्म से गाड़ियों की आपूर्ति कर सकते है, बशर्ते निविदादाता के पास उन गाड़ियों की आपूर्ति करने का सहमति पत्र/प्राधिकार पत्र हो।

- **निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा दस्तावेज ध्यान से पढ़े, तदनुरूप दिए गए निदेशों का पालन करें। यदि किसी चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से किसी भी तकनीकि त्रुटि के कारण निविदा अस्वीकृत होती है तो यह उनकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। निविदा अस्वीकृती के लिए संस्थान किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।**

10. **निविदा भरने की प्रक्रिया :–**

यह निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति (Two Bid System) से समर्पित करनी हैः–

1. तकनीकि निविदाः–

तकनीकि निविदा अनुसूची–1 में दिए गए प्रारूप में भरना होगा तथा मांगी गई सारी सूचनाएं क्रमवार देनी होगी तथा साक्ष्य हेतु आवश्यक अभिलेख संलग्न करना होगा। तकनीकि निविदा के सभी अभिलेख प्रपत्र सहित एक अच्छे मजबूत लिफाफे में रखने है। इसके साथ अगर निविदा वेबसाईट से डाउनलोड की गई है तो रू0 पांच सौ मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो **Superintendent BMIMS Hospital, Pawapuri,** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतेय हो, संलग्न करें। कार्यालय से क्रय करने की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति संलग्न करे। तत्पश्चात् लिफाफा को चारों तरफ से सीलबंद कर दें। लिफाफे के उपर **"व्यावसायिक वाहन का भाड़ें पर देने हेतु तकनीकि निविदा"** लिखें और अपना नाम, पूरा पता, मोबाईल न0 तथा ई0मेल लिखें। तकनीकि निविदा प्रपत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करेः–

A. निविदादाता के स्व वाहन मालिक/प्रोपराईटर होने का शपथ पत्र/पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनरशिप डीड एवं निबंधन की स्व अभिप्राणित छाया प्रति/ प्राईवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने पर कम्पनी विधान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति

B. पैन कार्ड की छाया प्रति

C. जी0एस0टी0 निबंधन की छाया प्रति

D. विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छाया प्रति

E. अनुभव के साक्ष्य की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति

F. गाड़ी का मेक/मॉडल एवं रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, ऑनर बुक/अगर नई गाड़ी देने का प्रस्ताव है तो उसके संबंध में शपथ पत्र की निविदा दाता अगर कार्यादेश पाने में सफल होंगे तो एक माह के अन्दर (न्यूनतम समयावधि) में वाहन उपलब्ध कराएंगे तथा प्रस्तावित मेंक मॉडल का नाम/विशिष्टता उल्लेख करें।

G. चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति (पुरानी गाड़ी होने पर)

H. चालक का पुलिस भेरीफिकेशन/आचरण प्रमाण पत्र छाया प्रति(पुरानी गाड़ी होने पर)

I. गाड़ी के अद्यतन इश्योरेंश की छाया प्रति

J. गाड़ी के अद्यतन रोड टैक्स भुगतान की छाया प्रति

K. गाड़ी के अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण की छाया प्रति

L. किसी भी सरकारी/पी0एस0यू0 द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नही होने एवं किसी भी न्यायिक बाद के लंबित होने एवं पुलिस केस नही होने का शपथ पत्र मूल में।

M. निविदादाता के नाम से निबंधित गाड़ी का Owner Book / निबंधन प्रमाण पत्र। गाड़ियाँ अगर दूसरे वाहन मालिक/फर्म/एजेंसी के नाम से निबंधित है उनको प्राधिकार पत्र (Letter of Autthorisation) जो निविदादाता के पक्ष में हो।

N. निविदा शुल्क Rs. 500/- का बैंक ड्राफ्ट मूल

0. अग्रधन (Earnest money deposit) Rs. 25000/- (रू0 पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो Superintendent BMIMS, Hospital, Pawapuri के नाम से किसी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत हो तथा पावापुरी में भुगतेय हो।

2. वित्तीय निविदाः–

अनुसूची–2 में दिये गये प्रारूप में भरकर वित्तीय निविदा देनी होगी जिसे दूसरे लिफाफे में रखकर उसके उपर **"व्यावसायिक वाहन को भाड़े पर देने हेतु वित्तीय निविदा"** लिखें। साथ ही अपना नाम, पूरा पता, मोबाईल न0, ई0मेल आई0डी0 लिखे। इस लिफाफे में विहित प्रपत्र में सिर्फ वित्तीय निविदा रखें। इसके अलावे कोई अन्य अभिलेख नही रखें वरना निविदा रद्द कर दी जायेगी। इसे चारो तरफ से सीलबंद करे।

3. दोनों निविदाएँ (तकनीकि एवं वित्तीय) एक तीसरे लिफाफे में रखें। उस लिफाफे पर **"व्यावसायिक वाहन को भाड़ें पर देने हेतु निविदा"** लिखें तथा अपना पूरा नाम, पता, मोबाईल न0 एवं ई0मेल लिखे। इस लिफाफे को चारों तरफ से सीलबंद करें तथा इसे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा अधीक्षक भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, पिन कोड–803115 के कार्यालय में भेज दें। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 13.09.2024 के संध्या 05:00 बजे तक है। उसके बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नही होगें। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। डाक विभाग की देरी के लिए संस्थान जिम्मेवार नही होगी।

11. Performance Security Deposit:-

सफल निविदादाता को Peroformance Deposite के रूप में वित्तिय निविदा में जो राशि तय पाई जाएगी उसके वार्षिक होने वाले भुगतान का 10% बैंक गारंटी/डिमांउ ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। यह Deposit निविदा में सफलता की सूचना (Letter of Intent) के एक माह के अन्दर जमा करनी होगी तथा इसके एक माह के अन्दर अनुबंध करना होगा। इसकी वैधता अनुबंध समाप्ति के तीन माह तत्पश्चात अर्थात सत्ताईस माह की होगी। अगर अनुबंध एक वर्ष और बढ़ता है तो पुनः इसकी वैधता अनुबंध समाप्ति के तीन माह की और होगी। इस राशि पर कोई भी ब्याज देय नही होगा। किसी भी तरह के Default की राशि होने की स्थिति में उसकी भरपाई इस राशि से की जाएगी।

12. नियम एवं शर्तें (Term and conditions)

1. निविदा कम्प्यूटर टंकित होनी चाहिए। सभी पृष्ठ (संलग्न अभिलेखों एवं निविदा अभिलेख सहित) स्व–अभिप्रमाणित एवं पृष्ठांकित (पृष्ठ नं0 अंकित) तथा हस्ताक्षर एवं स्टाम्प होना अनिवार्य है। इनके बिना निविदा विचारणीय नही होगी।
2. बिना निविदा शुल्क एवं EMD के निविदा विचारणीय नही होगी।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत होगी।
4. अगर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अवकाश घोषित होती है तो प्राप्ति अगले कार्य दिवस एवं कार्यावधि तक की जायेगी एवं तदनुरूप निविदा खुलने की तिथि अगले कार्यावधि को पूर्व निर्धारित समय पर होगी।
5. निविदा खुलने की तिथि को तकनीकि निविदा खोली जाएगी। उस समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के साथ उपस्थित रह सकते है। उपस्थिति कोई बाध्यता नही है और उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जाएगी। तकनीकि निविदाओं के मूल्यांकन पश्चात, तकनीकि रूप से सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। वित्तीय निविदा खोलने

की तिथि एवं समय की सूचना तकनीकि रूप से सफल उम्मीदवारों को उनके मोबाईल/ई0–मेल पर दी जाएगी। असफल उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की सूचना/निविदा अस्वीकृत होने के कारण की सूचना नही दी जायगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार/संपर्क निविदा रद्द करने का कारण हो सकता है। सिर्फ न्यूनतम दर ही चयन का आधार नही होगा।

6. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा। निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अनुसुची–2 में दिये गये प्रारूप में वाहन का दर ईंधन एवं चालक सहित without GST देना होगा। यदि वाहन भाड़े पर जी0एस0टी0 देय है तो उसका प्रतिशत अंकित करें। वाहन का दर शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित करना होगा। यदि शब्दों एवं अंको में अंकित दर में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगा।

7. निविददाता हस्ताक्षर के नीचे अपना पुरा नाम लिखेंगे। अगर किसी भी स्तर/निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा कार्यादेश के पश्चात भी कोई चूक/गलत प्रतिवेदन की जानकारी मिलती है तो निविदा/कार्यादेश रद्द कर विधि सम्मत कार्यवाई की जाएगी तथा EMD/Perfomance Security Money जब्त कर ली जाएगी।

8. निविदा/अभिलेखों में किसी भी प्रकार की कटाई अथवा इरेजर का प्रयोग उस निविदा/अभिलेख विशेष को अमान्य कर देगा। तकनीकि निविदा में निविदादाता को अगर संशोधन करना हो तो एक सीधी लाईन से काट कर संशोधित वाक्य/शब्द लिखें तथा वंहा पर अपना लघु हस्ताक्षर करने होंगे। Over writting वाले अभिलेख/अस्पष्ट अभिलेख अमान्य होंगे।

9. संस्थान को दो ए0सी0 गाड़ियाँ जिनमें प्रत्येंक में 6–7 इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल छात्रों को बैठने की क्षमता हो, की आवश्यकता है। इनमें एक गाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्, रहुई जाएगी तथा दूसरी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार शरीफ जाएगी। दोनो के समय अलग–अलग हो सकते है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई वाली गाड़ी को अधिकतम 26 दिन कार्यावधि अधिकतम 8 घंटे तथा दूरी अधिकतम 60 कि0मी0 प्रतिदिन तय करनी होगी। उसी प्रकार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्र बिहार शरीफ हेतु गाड़ी अधिकतम 26 दिन 8 घंटें एक करीब 40 कि0मी दूरी तय करने होंगे। तीसरी गाड़ी अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के उपयोग के लिए होगी, जो SUV/MPV/Seda AC होगी। यह आवश्यकता न्युनतम है। संस्थान में उपरोक्त वाहन के अलावे अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होने पर निर्धारित दर एवं शर्त पर अधिक गाड़ी की मांग की जा सकती है।

10. गाड़ियों का Make/Model अधिकतम 2020 होगा अर्थात अधिकतम चार साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियां स्वीकार नहीं की जायेगी। वर्तमान वर्ष अथवा नई गाड़ियाँ को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर निविदादाता नई गाड़ी देने का प्रस्ताव करता है और वाहन उपलब्ध कराने की निविदा प्राप्त करने में सफल होता है तो उसे एक माह के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा। गाड़ियाँ का निबंधन व्यावसायिक (Commercial) होगा।

10. वाहन चालक का वैध एवं अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसे गाड़ियाँ के सामान्य गड़बड़ियों को दूर कर गाड़ी चालू हालत में रखने का ज्ञान एवं LMV गाड़ी चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसे अनुशासित, मृदु भाषी, समय का पाबंद तथा नशे से दूर होना चाहिए। अगर चालक के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसे अविलंब बदलना होना। उसे वाहन चालन एवं यातायात नियमों, सड़कों, रूट्स का ज्ञान होना चाहिए। उसका मोबाईल हमेशा चालू अवस्था में होना चाहिए जिसका भुगतान निविदादाता करेंगे।

11. गाड़ी का रख रखाव, साफ सफाई, विभिन्न टैक्स एवं सर्टिफिकेट, इंधन, इश्योरेंस, सर्विसिंग, पार्किंग फीस तथा टॉल टैक्स इत्यादि जितनी भी आवश्यकताएँ है उसकी जिम्मेवारी व भुगतान निविदादाता को करना होगा। निविदादाता को मासिक भाड़े के अतिरिक्त कोई राशि अलग से नही दी जायेगी। जी0एस0टी0 का भुगतान निविदादाता करेंगे तथा भुगतान की प्रति Reimbursement हेतु मासिक विपत्र में जोड़कर संस्थान को देंगे। चालक की वर्दी निविदादाता को उपलब्ध करानी होगी जो साफ–सुथरा होना चाहिए। सभी गाड़ियों का लॉग बुक होगा जो उपयोग से पहले पुनः कार्य समाप्ति पश्चात उपयोगकर्ता से हस्ताक्षरित करवाकर कार्यालय को जाँच हेतु देना होगा। ड्राइवर का स्थानीय पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। साथ हि निविदा दाता भी एक प्रमाण पत्र देंगे कि ड्राइवर जो उनके द्वारा दिया जा रहा है अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। ड्राइवर को बदलने के पूर्व संस्थान को सूचना देनी होगी तथा नये ड्राइवर का भी सभी वांछित अभिलेख जमा करना होगा।

12. चूंकि वाहन का उपयोग प्रशिक्षुओं के लिए होना है अतएव अगर कही रास्तें में गाड़ी खराब होती है तो पुनः वापस लाने/गंतव्य स्थान पर पहुँचाकर वापस लाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। जिसके लिए तत्काल दूसरे वाहन का इंतजाम निविदादाता को करना होगा।

13. गाडियों का प्रयोग दूसरे प्रयोजन के लिए निविदादाता नही कर सकेंगे।

14. दर अपरिवर्तनीय होगें एवं अनुबंध की पूरी अवधि तक समान होंगें।

15. संवेदक जो गाड़ियाँ देंगे वे सभी सम्पूर्ण रूप से अच्छी हालत में होने चाहिए। गाड़ियों में आधुनिक साज–सज्जा यथा साफ सुथरे सीट कवर, सीट बेल्ट, कार परफ्यूम, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि होने चाहिए। जिसका रख–रखाव एवं आपूर्ति संवेदक को करना होगा। संस्थान सिर्फ तय मासिक किराया भुगतान करेगा तथा जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण पत्र देने पर संवेदक को उस राशि का Reimbursement करेगा।

16. अगर गाड़ी में किसी भी प्रकार की खराबी (Breakdown) आ गई तो संवेदक दूसरी गाड़ी का प्रबंध करेंगे। यदि संस्थान द्वारा दूसरी गाड़ी का प्रबंध किया जाना हुआ तो उसकी राशि संवेदक को जमा करनी होगी।

17. वाहन चालन एवं वाहन चालक Motor vehicle Act/Motor Vehicle rule से शासित (Governed) होंगे। इन नियमों के पालन में त्रुटि की जिम्मेवारी उनकी होगी और अगर किसी प्रकार का जुर्माना देना पड़ता है तो संवेदक को भुगतान करना होगा।

18. अग्रिम के रूप में कोई भी राशि देय नही होगी।

19. भुगतान हेतु मासिक विपत्र गाड़ी नम्बर एवं लॉग बुक के साथ कार्यालय में प्रथम सप्ताह में जमा करना संवेदक द्वारा अपेक्षित है। गाड़ी मद में राशि होने पर उसका भुगतान किया जायेगा। आयकर की सुसंगत धारा के तहत आयकर राशि काट कर भुगतान किया जाएगा।

20. संवेदक को सलाह दी जाती है कि गाड़ी में सभी आवश्यक अभिलेख यथा इंश्योरंस, पर्यावरण का प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी आवश्यक कागजात हो उसे रखें। संवेदक गाड़ी खराब होने की स्थिति में गाड़ी की अविलंब मरम्मती कराएंगे और तब तक के लिए दुसरी गाड़ी की व्यवस्था करेंगें।

21. किसी भी दुर्धटना के फलस्वरूप अगर कोई दावा होता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही एवं देनदारी संवेदक की होगी। संवेदक गाड़ी के परिचालन/चालक/अन्य कर्मी जो संवेदक के नियंत्रण में है उनके द्वारा घटित किसी घटना के विरूद्ध संस्थान को संरक्षित करेंगें। (Indemnity)

22. गाड़ी की सुरक्षा संवेदक की जिम्मेवारी होगी।

23. कम से कम एक गाड़ी निविदादाता के नाम से निबंधित होनी चाहिए। दुसरी गाड़ियाँ अगर दूसरे के नाम से निबंधित है; निविदादाता उस गाड़ी को देना चाहता है तो गाड़ी जिसके नाम/फर्म/एजेंसी के नाम से निबंधित है उनका प्राधिकार पत्र (Letter of authorization) जो निविददाता के पक्ष में हो, उसे निविदा के तकनीकि भाग के साथ संलग्न करना होगा।

24. हर माह जो किलोमीटर बच जाएंगे उसका सामंजस्य अगले माह के किलोमीटर में होगा। इस प्रकार साल के अंत में जो अधिक किलोमीटर होगा उसका भुगतान निर्धारित दर पर किया जायेगा। सामंजस्य हेतु इंटर्न के प्रयोग हेतु दोनो गाड़ियाँ एक इकाई होगी।

25. Penalties (दंड):–

- समय पर गाड़ी नही देने पर **100/–** प्रति घंटा।
- वैकल्पिक व्यवस्था नही करने पर रु0 **500/–** प्रति चूक या दूसरे स्त्रोंत से गाड़ी की व्यवस्था पर खर्च जो ज्यादा हो।
- वाहन चालक के दुर्व्यवहार पर रु0 **500/–** प्रति चूक।
- सेवा शर्तों के उल्लघंन पर रु0 **1000/–** प्रति चूक या अनुबंध की समाप्ति एवं Performance Security की जब्ती।

26. अनुबंध की समाप्ति (Termination of Contract):– सेवा शर्तों के उल्लघंन, संतोषप्रद सेवा प्राप्त न होने पर अथवा किसी अन्य कारण से जिसे अधीक्षक उपर्युक्त समझते हैं; अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अगर संवेदक अनुबंध समाप्त करने को इच्छुक हो तो उन्हें तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। फिर भी जब तक दूसरी निविदा नहीं होती है उन्हे सेवा प्रदान करनी होगी।

27. किसी भी प्रकार का दोनो पक्षों में विवाद होने पर उसका हल दोनो पक्ष आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालेंगे। अगर इससे बात नही बनती है तो Arbitration प्राचार्य अथवा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी करेंगें जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी न्यायिक दावा का क्षेत्र स्थानीय न्यायालय होगा।

28. किसी भी प्राकृतिक आपदा हड़ताल, दैविक आपदा होने के कारण कार्य प्रारंभ में विलंब होता है तो इसकी सूचना अविलंब देनी होगी।

29. कार्यादेश प्राप्त होने पर कार्य एक सप्ताह के अन्दर शुरू करना होगा। नई गाड़ी की स्थिति में एक माह के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा। अगर यह संभव नही हो पा रहा है तो एक सप्ताह पूर्व संवेदक और समय की मांग कर सकता है, पर इस मांग का औचित्य अभिलेख के रूप में देना होगा। यह समय देना समिति के अधिकार क्षेत्र में है और यदि समिति समझती है कि समय देने से कार्य प्रगति या कार्य प्रभावित होगा तो वह दुसरे L2 एवं L3 को कार्यादेश देगी एवं L1 की जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

30. अधीक्षक बिना कारण बताए निविदा की शर्तों में छूट देने/स्थगित करने/किसी शर्त/शर्तों को विलुप्त करने/ निविदा निरस्त करने का अधिकार निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सुरक्षित रखतें है।

12/8/14

अधीक्षक,
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालंदा।

अनुसूची–1

भाड़े पर व्यावसायिक वाहन देने हेतु तकनीकि निविदा का प्रपत्र

क्र0 स0	विवरणी	ब्योरा	पेज न0
01.	फर्म/एजेंसी का नाम, पता		
02.	फर्म/वाहन मालिक का नाम		
03.	पता,मोबाईल न0ए ई0मेल आई0डी		
04.	निविदा शुल्क Rs. 500/- का डिमांड ड्राफ्ट(मूल) जो Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri के नाम से देय हो तथा पावापुरी में भुगतेय हो	ड्राफ्ट न0 इत्यादि	
5.	अग्रधन (EMD) राशि का Rs. 25000/- का डिमांड ड्राफ्ट मूल जो Superintendent VIMS Hospital, Pawapuri के नाम से देय हो तथा पावापुरी में भुगतेय हो	ड्राफ्ट न0 इत्यादि	
6.	पैन न0 एवं उसकी छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित		
7.	जी0एस0टी0 से निबंधन प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रामाणित छाया प्रति		
8.	विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित		
9.	वाहन मालिक/प्रोपराईटर फर्म होने का शपथ पत्र/पार्टनरशिप डीड फर्म का निबंधन एवं MOA जो भी समुचित प्रमाण हो (Approproate Document)		
10.	काली सूची में नाम दर्ज नही होने का शपथ पत्र		
11.	अगर दूसरे व्यक्ति की गाड़ी भी देने का प्रस्ताव हो तो उसके मालिक का प्राधिकार पत्र		
12.	जो गाड़ी निविदादाता के नाम से निबंधित हो उसका ऑनर बुक		
13.	अगर नई गाड़ियाँ देने का प्रस्ताव है तो तीनों गाड़ियों का Make Model तथा कालावधि(कब तक गाड़ियाँ उपलब्ध कराएँगें)		
14.	पुरानी गाड़ियाँ के प्रस्ताव के संबंध में	A. गाड़ी का मॉडल, मेक B. गाड़ी का Manufacture Year C. कितने किलोमिटर गाड़ी चली है (निविदा देने की तिथि तक) D. RC Book No. सभी प्रस्तावित गाड़ियाँ का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें E. Insurance F. अद्यतन रोड टैक्स G. अद्यतन प्रदुषण नियंत्रण अभिलेखों की छाया प्रति स्वअभिप्रामाणित संलग्न करें।	
15.	अनुभव के साक्ष्य की स्वअभिप्राणित प्रति		
16.	चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति		
17.	प्रत्येक गाड़ी के चालक का आचरण प्रमाण पत्र		
18.	काली सूची एवं किसी न्यायिक वाद (पुलिस केस नही होने का शपथ पत्र विहित प्रपत्र में, मूल प्रति संलग्न करें।		
19.	अगर निविदा के अभिलेख (Tender Document) निविदादाता/फर्म / कम्पनी के बदले किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है तो मूल में सक्षम व्यक्ति द्वारा दिय गया, Power of Attorney मूल में।		

निविदादाता का हस्ताक्षर
(पुरा नाम, स्टाम्प)

नोटः– निविदा व संलग्न अभिलेखों के सभी पृष्ट पृष्टांकित **(Page Numbring)** एवं स्वअभिप्रमाणित स्टाप्म सहित करें। अपठनीय/अस्पष्ट अभिलेखों पर विचार नही किया जायेगा।

अनुसूची–2

भाड़े पर व्यावसायिक वाहन देने हेतु वित्तिय निविदा का प्रपत्र

निविदादात का नाम एवं पता..

मो0 न0... ई0मेल0 आई0डी0...

क्र0 सं0	विवरण	वाहन की सं0 (अनुमानित)	वाहन का प्रकार	उत्पाद वर्ष (Make) एवं Model No.	प्रत्येक वाहन का प्रतिमाह प्रस्तावित दर Without GST (अंक एवं शब्दों में)	GST प्रतिशत में (यदि देय हो तो)	1500 कि0मी0 से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि0 मी0 दर
1	इंटर्नस प्रशिक्षणार्थ 6–7 सीटर ए0सी0 गाड़ी (1500 कि0मी0 प्रतिमाह परिचालन तक)	02	Renault Triber एवं समकक्ष				
2	अधीक्षक हेतु ए0सी0 गाड़ी (1500 कि0मी0 प्रतिमाह परिचालन तक)	01	Innova Crysta एवं समकक्ष				
			Mahindra Scorpio/XUV 700/Tata Safari Adventure Plus AT एवं समकक्ष				

देय जी0एस0टी0 का भुगतान संवदेक करेंगें तथा मासिक विपत्र में जोड़कर जमा करेंगें जिसका Reimbursement किया जायेगा।

नोटः– नयी गाड़ी का प्रस्ताव देने वाले निविदादाता उल्लेख करेंगे कि अगर उनका चयन होता है तो वे गाड़ी कितने दिनों में उपलब्ध कराएँगें।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(पुरा नाम, स्टाम्प)